



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR निगरानी/हरदा/भूरा/2017/3576

निगरानी प्र.कं. :- पीबीआर/2017 जिला हरदा

प्रस्तुत दिनांक :-

निगरानीकर्ता :- 1. गजराज सिंह पिता नाथूराम राजपूत

आवेदक अकिष्णप ७ श्री धनश्याम
शोनी द्वारा भोपाल केम्प
में दिनांक - 27/9/17 को
प्रस्तुत किया गया।

Khushal
27/9/17

2. वीर सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत

3. हुकुमसिंह आ. गजराज सिंह राजपूत

4. शांताबाई पत्नि स्व. नत्थू सिंह राजपूत

चारों निवासी ग्राम रामपुरा तह. सिराली जि.हरदा

5. श्रीमति शारदाबाई पुत्री नाथूराम पति राजाराम

राजपूत नि.ग्र.लोलांगरा तहसील सिराली जि.हरदा

6. श्रीमति रमाबाई पुत्री नाथूराम पत्नि भगवान सिंह

राजपूत निवासी बलराम चौक, हरदा जिला हरदा

बनाम

Khushal

उत्तरवादी

:- श्रीमति समाबाई पुत्री नाथूराम पत्नि राधेश्याम

राजपूत निवासी ग्राम खमगाँव तहसील रहटगाँव

जिला हरदा

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निगरानीकर्तागण यह याचिका न्यायालय श्रीमान
अनुविभागीय अधिकारी महोदय खिरकिया द्वारा राजस्व प्र.कं. 18अ/27वर्ष

//02//

[Signature]

//02//

16-17 ग्राम रामपुरा मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक-23/08/17 से व्यथित होकर तथ्यों एवं विधि के निम्न सुस्थापित सिद्धांतो के आधार पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते है :-



28.9.2017

आवेदकगण की आर व श्री
चमशाम सोनी आभेभाषक उपाध्यक्ष
ग्राह्यता पर सुना गया। उनका तर्क
है कि अनुवैभागीय आर्क्षकारी
द्वारा बिना आवेदकगण को
बिना सुने लोभित प्रकृति का आदेश
पारित कर आर्क्ष विद्याय का आवेदन
पत्र लीक कर दिया गया है। अतः
अनुवैभागीय आर्क्षकारी को निर्देश
दिये जाते हैं कि आवेदकगण को
सुनवाई का अवसर देकर आर्क्ष
विद्याय की च्यात 5 के आवेदन
पत्र पर सन्तान बोलता हुआ
आदेश पारित करे।

सुनी
28/9/17

सुनी

अध्यक्ष